



क्रमांक:- LU2012/JDA/2019-20/100360

दिनांक 01 / 02 / 2021

विषय— राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की घारा 90-के के अधीन कृषि भूमि का गैर- कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करने।

आदेश

मिले के संलिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं—

रवि बाल भारती रिक्षा समिति जरिये संघिव श्री रामलाल जाट पुत्र श्री किशन जाट निवासी ग्राम नेवटा तहसील सांगनेर, जिला जयपुर।

- जयपुर नामित आदेशक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की घारा 90-के के अधीन भूमि का संस्थानिक(स्कूल) प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुमति देने के लिए आदेशन किया है।

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1.	नेवटा, सांगनेर (जयपुर)	रवि बाल भारती रिक्षा समिति	1802, 1735, 1747	0.55
			कुल	0.55

- आदेशक ने आदेशन के सबूत नहींनाम प्रमाणित जारी की प्रति, राजस्व खसरा अनुसूच, सम्पर्क सब से अनुप्राप्ति भूमि का उपयोग की अनुमति की—प्रति, अभिनास योजना, संविधान नहीं और अनु सुलभ दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि मैंने आदेशक द्वारा प्रस्तुत आदेशक और दस्तावेज़/कार्यालय का परीक्षण कर लिया है। मैंने संलिप्त तहसीलदार की रिपोर्ट और लालीय प्रशिक्षितों की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मैंने यह तथ्य है कि आदेशन भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिए जरिये उपयोग नहीं योजना/विकास योजना/स्थानीय का अनुसूचा है और आदेशक जो आदेशन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की घारा 90-के और राजस्थान अधिकृती अभिनास योजना 63 और उपर्योग का विवरण द्वारा जारी की गयी अनुमति भूमि पर अधिकृती अभिनास विविधियों को भूमि का संस्थानिक(स्कूल) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- अत अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आदेशक के अधिकृती अधिकारों को उक्त भूमि का संस्थानिक(स्कूल) प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्विधि किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आदेशक/आदेशक द्वारा नव्वमीविधि व्यक्तियों को, उक्त भालीय प्रशिक्षितों पर लान् दियि, नियमों, विविधियों या उप-विधि के अनुसार आदेशन के लिए लालीय प्रशिक्षितों के अधिनायीन रखा जाया समझ जायेगा।
- इन नियमों के अन्ति विधित और भालीय प्रशिक्षितों द्वारा सुनागत विधि के अनुसार अधिकृती अभिनास और जारी की आदेशक द्वारा जारी की जायेगी।
- यह आदेश अद्वितीयतासही के हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन आज दिनांक 01-02-2021 को पारित किया गया है।

प्रभिकृष्ण-अधिकारी (ठेन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर